From,

Ashutosh Singh
Civil Judge (Junior Division), Ballia

To,

The Registrar General,
High Court of Judicature at Allahabad

Through,

The District Judge,
Ballia

Subject: Regarding Counting of previous service rendered on the post of Review Officer at Hon'ble High Court Allahabad, with present service.

Respected Sir,

Most respectfully, it is humbly stated that vide letter No. 12847/IV-5712/Admin. (A), dated 23.09.2024 of Hon'ble High Court, Allahabad on the subject matter above, undersigned was asked to submit a fresh representation, praying therein for counting of previous service, along with duly filled and signed proforma containing thereby sought information/supporting papers as per requirement to the Court. In continuation of previous representation dated 29.05.2024 on the subject matter above, it is humbly submitted to your goodself that vide Notification No. 295/Admin. (Services)/2024, dated 04.01.2024 **(enclosure-1)** of Hon'ble High Court, Allahabad, pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 1234/Do-4-2023, dated 08.12.2023, **(enclosure-2)**, undersigned took over the charge of Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court) at District Court, Ballia on 12.01.2024 (F/N).

It is further submitted that, before taking over the charge of Civil Judge (Jr. Division), undersigned was working in the establishment of Hon'ble High Court, Allahabad as Review Officer. Vide Appointment Letter No.3595/Establishment/ Allahabad: Dated: 28.07.2015 **(enclosure-3)**, undersigned was appointed as Assistant Review Officer in the establishment of Hon'ble High Court, Allahabad in the pay scale of Rs. 9300-34800, Grade Pay of Rs. 4600/- (*as per 6th Pay Commission*) on **03.08.2015** (F.N.). Later on, undersigned was promoted to the post of Review Officer w.e.f. 29.07.2017 (A.N.) in the Pay matrix of Rs. 47600-151100 @ Level-08 (*as per 7th Pay Commission*) and subsequently, vide Notification No. 28, dated 16.08.2019 **(enclosure-4)**, undersigned was confirmed on the post of Review Officer w.e.f. 27.11.2018.

It is further submitted that undersigned has applied and appeared in the U.P. Judicial Service Civil Judge (Junior Division) Examination-2022, conducted by UPPSC Prayagraj, through proper channel and No Objection Certificate **(enclosure-5)** was issued by the Ld. Registrar General at the time of appearing in the interview of aforesaid examination. Thereafter undersigned finally selected on the post of Civil Judge (Junior Division).

In compliance of the aforesaid Notification/Posting order **(enclosure-1)** of Hon'ble High Court, undersigned was relieved from the post of Review Officer on 11.01.2024 (A/N) **(enclosure-6)** and joined the post of Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court) at District Court, Ballia on 12.01.2024 (F/N), **(enclosure-7)**.

26.09.2024

It is further submitted that, in between the service of Review Officer in Hon'ble High Court Allahabad, undersigned had been selected on the post of Naib Tehsildar through Combined State/Upper Subordinate Examination-2016, conducted by UPPSC Prayagraj and Appointment Letter dated 03.09.2019 had been issued from the Board of Revenue, Uttar Pradesh in this regard. Vide Office Order No. 7791/Establishment/ Allahabad, dated 15.10.2019 **(enclosure-8)** of Hon'ble High Court, undersigned had been relieved through proper channel from the post of Review Officer on 15.10.2019 (A/N) with lien on the post of Review Officer and joined the post of Naib Tehsildar on 16.10.2019 (F/N) **(enclosure-9)** at Gorakhpur. Due to some domestic reasons, undersigned had resigned from the post of Naib Tehsildar on 13.05.2020 (A/N) **(enclosure-10)** and re-joined the post of Review Officer in Hon'ble High Court, Allahabad on 14.05.2020 (F/N) **(enclosure-11)**, under the provision of holding lien on the post of Review Officer and continued his services as Review Officer up to 11.01.2024.

Therefore, It is humbly requested to your goodself kindly direct the concerned Officer/Official to place the instant representation before the Hon'ble Court, for counting of previous service rendered by the undersigned, with present service for considering of my previous accumulated Earned leaves and for the purpose of counting of length of service for Death-cum-Retirement Gratuity or any other pensionary benefits, if occurs in future, in light of U.P. G.O. No.:- 17/2019/Sa-3-346/ Das-2019-933/89, dated 30.04.2019 **(enclosure-12)**, G.O. No.:- 31/2016/Sa-3-G.I.-17/ Das-2016-301(9)2011, dated 06.10.2016 **(enclosure-13)**, G.O. No. 38/2016-Sa-3-921/ Das-2016/308/2016, dated 23.12.2016 **(enclosure-14)** and Central Government O.M. No.:-7/5/2012-P&PW(F)/B, dated 12.02.2020 **(enclosure-15)**.

Undersigned shall be highly grateful to your goodself for this act of kindness.

Your's faithfully

Date: 26.09.2024

26.09.2024
Ashutosh Singh,
Civil Judge (Jr. Division) FTC-1,
Ballia
Id.- UP4891
Mob.No.-7696806434

Office of the District Judge, Ballia

Letter No.: 4163/XV Date: 26-09-2024

Application forwarded for information and necessary action to: -

The Registrar General, Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

District Judge
Ballia

District Judge
Ballia

Consolidated details with respect to Counting of previous service

(1) Name of the Officer	**Ashutosh Singh**
(2) Designation in U.P. Nyayik Sewa/ U.P. H.J.S.	Civil Judge (Junior Division) (Pay Scale- 77,840/- to 136,520/-)
(3) Date of Joining in U.P. Nyayik Sewa	12.01.2024 (F.N.)
(4) Appointing Authority	Governer, Utta. Pradesh
(5) Date of retirement on superannuation	31.12.2036
Details of previous service	
(6) Designation/Post held in previous service	Review Officer/ (61,300/- Level-10)
(7) Department/Office under which previous service was rendered	High Court, Allahabad
(8) Date of Joining in previous service	03/08/2015 (on the post of Assistant Review Officer)
(9) Nature of employment in previous service (Temporary/Permanent)	Permanent
(10) Government under which previous service was rendered (Central/State)	U.P. State Government
(11) Date of relieving in previous service	11.01.2024 (A.N.)
(12) Whether previous service renedered was under Old Pension Scheme or New Pension Scheme	New Pension Scheme
(13) Mention relevant Government Order(s) vide which past service benefits is claimed as well as particular provision of the Government Orders, applicable in his/her case (annexed copy of G.O.s).	1. U.P. G.O. No. 17/2019/Sa-3-346/Das-2019-933/89, dated 30.04.2019 **(enclosure-12)**, 2. U.P. G.O. No. 31/2016/Sa-3-G.I.-17/Das-2016-301(9)2011, dated 06.10.2016 **(enclosure-13)**, 3. U.P. G.O. No. 38/2016-Sa-3-921/Das-2016/308/2016, dated 23.12.2016 **(enclosure-14)** 4. Central Government O.M. No.:-7/5/2012-P&PW(F)/B, dated 12.02.2020 **(enclosure-15)**.
(14) Remark(s), if any	During holding the previous service on the post of Review Officer in Hon'ble High Court, Allahabad, undersigned had joined the post of Naib Tahsildar on 16.10.2019 and after tendering the resignation from the post of Naib Tehsildar due to some domestic reasons, re-joined the post of Review Officer on 14.05.2020 in Hon'ble High Court, Allahabad, under the provision of holding the Lien. **Details of the previous service of Naib Tahsildar has been mentioned below:-**
(15) Designation/Post held in previous service	Naib Tahsildar
(16) Department/Office under which previous service was rendered	Board of Revenue, Lucknow, U.P.
(17) Date of relieving from the post of Review Officer, High Court, Allahabad	15.10.2019 (A.N.)
(18) Date of Joining on the post of Naib Tehsildar at Gorakhpur	16.10.2019 (F.N.)
(19) Nature of employment in previous service (Temporary/Permanent)	Temporary

Ashutosh
26.09.2024

(20) Government under which previous service was rendered (Central/State)	U.P. State Government
(21) Date of relieving / resignation from the post of Naib Tehsildar	13.05.2020 (A.N.)
(22) Date of re-joining the post of Review Officer in High Court, Allahabad **(*under the provision of holding the Lien*)**	14.05.2020 (F.N.)
(23) Whether previous service renedered was under Old Pension Scheme or New Pension Scheme	New Pension Scheme

Date: 26.09.2024

Asutosh 26.09.2024
Ashutosh Singh,
Civil Judge (Jr. Division) FTC-1,
Ballia
Id.- UP4891

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: JANUARY 04, 2024

No. 2 /Admin. (Services)/2024

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **1192/Do-4-2023 dated 04.12.2023, Shishir Yadav S/o Kripa Shanker Yadav**, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bhadohi at Gyanpur.

No. 3 /Admin. (Services)/2024

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **1192/Do-4-2023 dated 04.12.2023, Sushri Rashmi Singh D/o Narendra Kumar**, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge (Junior Division), Unnao.

No. 4 /Admin. (Services)/2024

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **1192/Do-4-2023 dated 04.12.2023, Snehil Kunwar Singh S/o Sunil Kumar**, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge (Junior Division), Azamgarh.

No. 5 /Admin. (Services)/2024

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **1192/Do-4-2023 dated 04.12.2023, Sushri Jahnavi Verma D/o Jagdish Prasad Verma**, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ambedkar Nagar at Akbarpur for trying cases of crime against women vice Sri Abhishek Singh-III.

No. 6 /Admin. (Services)/2024

Sri **Abhishek Singh-III**, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Ambedkar Nagar at Akbarpur.

No. 7 /Admin. (Services)/2024

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **1192/Do-4-2023 dated 04.12.2023, Sushri Harshita Singh D/o Vinod Bhakuni**, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge (Junior Division), Raebareli.

No. 289 /Admin. (Services)/2024

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **1234/Do-4-2023 dated 08.12.2023, Saurabh Kumar S/o Satish Kumar Srivastava**, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Azamgarh for trying cases of crime against women vice Sushri Omshree Chaurasia.

No. 290 /Admin. (Services)/2024

Sushri **Omshree Chaurasia**, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Azamgarh to be Additional Civil Judge (Junior Division), Azamgarh.

No. 291 /Admin. (Services)/2024

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **1234/Do-4-2023 dated 08.12.2023, Urfi Azmi S/o K H Azmi**, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ballia for trying cases of crime against women.

No. 292 /Admin. (Services)/2024

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **1234/Do-4-2023 dated 08.12.2023, Vikas Kumar S/o Late Tularam Singh**, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ramabai Nagar (Kanpur Dehat) against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission.

No. 293 /Admin. (Services)/2024

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **1234/Do-4-2023 dated 08.12.2023, Ashish Tripathi S/o Basudev Prasad Tripathi**, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Pratapgarh against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission vice Smt. Meenakshi.

No. 294 /Admin. (Services)/2024

Smt. **Meenakshi.**, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Pratapgarh to be Additional Civil Judge (Junior Division), Pratapgarh.

No. 295 /Admin. (Services)/2024

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **1234/Do-4-2023 dated 08.12.2023, Ashutosh Singh S/o Chandra Hans Singh**, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Ballia against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission.

No. 296 /Admin. (Services)/2024

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **1234/Do-4-2023 dated 08.12.2023, Sushri Aastha Dwivedi D/o Ajay Kumar Dwivedi,** candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Azamgarh against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission vice Sri Ravindra Kumar Rawat.

No. 297 /Admin. (Services)/2024

Sri **Ravindra Kumar Rawat**, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Azamgarh to be Additional Civil Judge (Junior Division), Azamgarh.

No. 298 /Admin. (Services)/2024

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **1234/Do-4-2023 dated 08.12.2023, Sidhinath Singh Sengar S/o CP Singh**, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mahoba for trying cases of crime against women.

No. 299 /Admin. (Services)/2024

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **1234/Do-4-2023 dated 08.12.2023, Vinay Kumar Chahar S/o Doulat Ram Chahar,** candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jalaun at Orai for trying cases of crime against women.

BY ORDER OF THE HON'BLE COURT

sd/-
(RAJEEV BHARTI)
REGISTRAR GENERAL

No. 07/Admin. (Services)/2024: Allahabad: Dated: January 04, 2024

Copy forwarded for information & necessary action to:-

1. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001. (through E-mail)
2. Pramukh Sachiv, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.
3. Pramukh Sachiv, Nyay Evam Vidhiparamarshi, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow. (through E-mail)
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Vineet Khand, Gomti Nagar, U.P. Lucknow requesting him to impart Induction Training to aforesaid newly appointed Civil Judge, Junior Division in their wisdom. (Through E-mail)
5. The Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow. (Through E-mail)
6. The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
7. All the District & Sessions Judges alongwith photocopy of U.P. Government Appointment/Notification No. 1192/Do-4-2023 dated 04.12.2023 and 1234/Do-4-2023 dated 08.12.2023 (through E-mail)

   The above mentioned District & Sessions Judges District Judiciary of the State of Uttar Pradesh are directed to permit the newly appointed candidates of Civil Judge, Junior Division, to take over charge on the post.

   The certificate of taking over charge by the candidates of Civil Judge Junior Division and certificates of handing and taking over by the officers, be sent to the Deputy Registrar (Services), High Court, Allahabad.

नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या-1234 /दो-4-2023

लखनऊः दिनांक: 08 दिसम्बर, 2023

विज्ञप्ति/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2022 के आधार पर चयनित/संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रू0-77840-136520 (पुराना वेतनमान रू0 27700-770-35090-920-40450-1080-44770) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	लोक सेवा आयोग की सूची की क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री/सुश्री)	पिता/पिता का नाम	वर्तमान पता
1	14	001722	AAKANKSHA MISHRA आकांक्षा मिश्रा	श्री क्षेमेन्द्र मिश्रा	टीचर्स कॉलोनी फरेन्दा खुर्द, आनन्दनगर, जिला-महाराजगंज, उ0प्र0-273155
2	16	013239	SNIGDHA PRADHAN स्निग्धा प्रधान	श्री ओम नरायण प्रधान	661 सिद्धेश्वर नगर कॉलोत्ती वार्ड नं0-6, गाजीपुर, उ0प्र0-233001
3	17	015339	SOMYA GUPTA सौम्या गुप्ता	श्री संदीप गुप्ता	म0नं0-2 स्ट्रीट नं0-1 मॉडल टाउन, बहादुरगढ़, झज्झर, हरियाणा-124507
4	19	061552	NIVEDITA SINGH निवेदिता सिंह	श्री जय प्रकाश सिंह	जे-27 पेरामाउण्ट ट्यूलिप, दिल्ली रोड, सहारनपुर, उ0प्र0-247001
5	21	022444	ANKIT PAL अंकित पाल	श्री कृष्ण बिहारी पाल	3124 न्यू पटेल नगर, नियर गणेशधाम, उरई, जालौन, उ0प्र0-285001
6	23	071368	JYOTI SHARMA ज्योति शर्मा	श्री सतवीर शर्मा	384, ढाणी सरोगियान,नेहरू पार्क के सामने, भिवानी, हरियाणा-127021
7	24	017712	NEERU ANAND नीरू आनन्द	श्री संजीव कुमार आनन्द	पी-10 367, नई वस्ती मिर्जापुर, लखनऊ, उ0प्र0-226031
8	26	048053	PRAJJAWAL AGRAWAL प्रज्जवल अग्रवाल	श्री चैन सुख अग्रवाल	24, वार्ड नं0-8, मेन मार्केट, चम्पावत, उत्तराखण्ड-262309
9	30	019889	KASHISH AGGARWAL कशिश अग्रवाल	श्री राजन अग्रवाल	1086 सेक्टर-17, हुडा, यमुनानगर, हरियाणा-135001

132	292	040865	ASHUTOSH SINGH आशुतोष सिंह	श्री चन्द्र हंस सिंह	म0नं0-296ए/1 जे बी, न्याय विहार कॉलोनी, सेक्टर-3, गंगा द्वार, प्रयागराज, उ0प्र0-211015
133	293	009342	AASTHA DWIVEDI आस्था द्विवेदी	श्री अजय कुमार द्विवेदी	11-डी स्ट्रेची रोड, सिविल लाइन, नियर हाइडिल कॉलोनी, प्रयागराज, उ0प्र0-211001
134	299	005459	SIDHINATH SINGH SENGAR सिद्धिनाथ सिंह सेंगर	श्री सी पी सिंह	378 जवाहरपुरम मंगला विहार-I, न्यू पी0ए0सी0 लाइन, कानपुर नगर, उ0प्र0-208015
135	301	021561	VINAY KUMAR CHAHAR विनय कुमार चाहर	श्री दौलत राम चाहर	73/बी, मनोहर धाम कॉलोनी, आगरा ग्वालियर रोड, इटोरा, आगरा, उ0प्र0-282001

2- उपरोक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1234(1)/दो-4-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये **मूल आवेदन प्रपत्र (संलग्नकों सहित) एवं चिकित्सा परिषद की मेडिकल रिपोर्ट्स मूलरूप में संलग्न कर** इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में बिना किसी समुचित कारणों के अपना योगदान इस सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है, तो उस स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराया जाय। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेशों की प्रति तथा अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, समय आदि की सूचना भी शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, शिविर कार्यालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।

4- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-396/03/ई-3/2022-23, दिनांक 11-09-2023 एवं पत्र संख्या-397/03/ई-3/2022-23, दिनांक 04-10-2023 के सन्दर्भ में।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, प्रयागराज, उ0प्र0 को गजट के आगामी अंक में हिन्दी तथा उर्दू में प्रकाशनार्थ।

6- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन ।

7- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ ।

8- सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अभ्यर्थी अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जाने वाले तैनाती आदेशों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को तत्काल प्रेषित करें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

उक्त अभ्यर्थीगण जब तक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक वह अस्थायी कर्मचारियों पर लागू अधिसूचना संख्या-20/1/74, नियुक्ति-3, दिनांक 11-6-1975 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता, अनुमन्य नहीं होगा।

9- अनुभागीय गार्ड फाइल ।

(विजय कुमार संखवार)
विशेष सचिव।

By Speed Post

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ESTABLISHMENT SECTION

OFFICE ORDER

(APPOINTMENT LETTER)

No.__3595__/ Establishment : Dated : Allahabad : July 28 , 2015.

In pursuance of the result of Assistant Review Officer Examination-2014, a temporary appointment on the post of Assistant Review Officer in the Establishment of the High Court at Allahabad in the pay scale of P.B.-2 Rs. 9,300-34,800, Grade Pay Rs. 4,600 per mensum plus usual allowances is hereby offered. Your appointment will be liable to be terminated at any time as per rules. If you are willing to accept the offer, you should report for duty to the undersigned within 15 days from the issue of this appointment letter, failing which you may forfeit your claim for appointment on the said post.

You will be on probation for one year as per rules. Your appointment on the post of Assistant Review Officer shall be subject to the outcome of writ petition/s and/or appeal/s (if any) pending in the High Court and/or in Hon'ble The Supreme Court in this matter and Character and Address verification report obtained from the police department. The verification of following original testimonials / certificates will be done at the time of joining :

- I. High School;
- II. Intermediate;
- III. Graduation;
- IV. Post-graduation (if applicable);
- V. Diploma / Degree in Computer Science from a recognized Institution/University, 'O' level certificate awarded by DOEACC Society, 'CCC' in computer science from recognized institute established by law in India;
- VI. Domicile Certificate (only for reserved category candidates of U.P.)
- VII. Caste Certificate (only for reserved category candidates of U.P.)
- VIII. No Objection Certificate & relieving request (only for Central / State Government / P.S.U. Employees)
- IX. Discharge Certificate (only for Ex-servicemen of Navy/Naval Academy, Army and Air Force service)
- X. Certificate in favor of Sports Person.
- XI. Disability Certificate in favor of Disabled person.
- XII. Identity Card issued by competent authority.

At the time of verification, it is obligatory on your part to satisfy the competent authority about your candidature by providing the required original documents before joining. *You should have to provide such documents which prove the recognition of the institute from which the Diploma or Certificate in computers has been obtained by you.* If you would not be able to satisfy the authority, your candidature may be forfeited by the appointing authority.

You must submit following documents at the time of joining in the establishment of the High Court :

1. Two Character Certificates from the Members of Parliament or State Legislature or Gazetted Officer to the effect that you bear a good moral character and have never taken part in any act subversive of law and order.

2. A Medial Certificate from the Chief Medical Officer of your district to the effect that you are in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of your official duties.

3. A declaration on affidavit on Stamp Paper of Rs. 10/- also be furnished to the effect that you are neither a previous convict nor any criminal case is pending before any Court of Law nor any F.I.R. has been lodged against you.

25072015

REGISTRAR GENERAL

Sri Ashutosh Singh (Roll No. 1500703)

S/o Sri Chandra Hans Singh

R/o-

Village-Kamhariya, P.O.-Kamhariya(Tarwa),

Azamgarh-276123, U.P.

Encl.-4

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ESTABLISHMENT SECTION

NOTIFICATION

No. 88   Dated: August 16, 2019.

Under the orders of Hon'ble the Chief Justice dated 16.08.2019, following Review Officers, High Court, Allahabad/Lucknow Bench are hereby confirmed on their post with effect from the date mentioned against their names:-

Sl. No.	Emp. No.	Name S/Sri	Date of confirmation
1.	7432	Amod Kumar , Lko.	03.08.2019
2.	7472	Pandey Shashikant Ramanand	12.02.2019
3.	7490	Sayed Javed Husain	28.05.2018
4.	7645	Akhilesh Kumar	28.05.2018
5.	5922	Sri Rajendra Prasad (Retired on 31.01.2019)	28.05.2018
6.	5054	Radhey Shyam-II	28.05.2018
7.	5972	Narayan Kant Jha	28.05.2018
8.	5698	Devi Prasad Misra	28.05.2018
9.	5707	Indiver Gaur	28.05.2018
10.	5124	Javed Ahmad	28.05.2018
11.	5146	Vijay Bahadur Singh	28.05.2018
12.	5993	Mohd. Tahir	28.05.2018
13.	5730	Rakesh Kumar	28.05.2018
14.	5917	Krishna Lal (Yadav)	28.05.2018
15.	7346	Saurabh Srivastava	30.05.2018
16.	7655	Ms. Neelam Sinha	31.05.2018
17.	7664	Ms. Ranjita Singh	22.06.2018
18.	7666	Saurabh Pant ,Lko.	01.09.2018
19.	7677	Tabrez	20.09.2018
20.	7665	Santosh Shankar	20.09.2018
21.	7662	Sanjeev Kumar Singh	20.09.2018
22.	7675	Mahesh Singh	20.09.2018
23.	7663	Mrs.Aruna Pandey	20.09.2018
24.	2205	Dinesh Chandra Tripathi	21.09.2018
25.	5630	Aleem Ullah Khan	21.09.2018
26.	7656	Shubh Srivastav, Lko.	24.09.2018
27.	7684	Manoj Tyagi, Lko.	24.09.2018
28.	7685	Vaibhav Srivastava	24.09.2018
29.	7686	Vaseem Raza, Lko.	24.09.2018
30.	7687	Anil Kumar Vishwakarma	25.09.2018
31.	7688	Tanuj Srivastava	25.09.2018
32.	7691	Abhishek Singh, Lko.	25.09.2018
33.	7693	Sandeep Chaurasia, Lko.	26.09.2018
			27.09.2018

Sl. No.	Emp. No.	Name S/Sri	Date of confirmation
126.	7797	Sanjiv Kumar Sachan	27.11.2018
127.	7798	Pankaj Verma	27.11.2018
128.	7799	Ms. Bushra Parveen	27.11.2018
129.	7800	Anamika Singh	27.11.2018
130.	7801	Ms. Nidhi Choudhary, Lko.	27.11.2018
131.	7802	Anuj Kumar Singh	27.11.2018
132.	7804	Sanjeev Kumar Singh	27.11.2018
133.	7805	Ashutosh Singh	27.11.2018
134.	7807	Krishan Pal	27.11.2018
135.	7808	Manendra Kumar Kanaujia, Lko.	27.11.2018
136.	7809	Smt. Indu	27.11.2018
137.	7810	Vikas Kumar Yadav, Lko.	27.11.2018
138.	7811	Pankaj Kumar Gautam, Lko.	27.11.2018
139.	7813	Saurabh Pradhan	27.11.2018
140.	7814	Vikrant Mishra	27.11.2018
141.	7901	Sachin Diwaker, Lko.	27.11.2018
142.	7815	Atul Kumar	27.11.2018
143.	7816	Shyam Sunder, Lko.	27.11.2018
144.	7819	Mrs. Renu Yadav	27.11.2018
145.	7951	Amit Kumar Verma	27.11.2018
146.	7822	Nripendra Kumar Singh, Lko.	27.11.2018
147.	7824	Arun Kumar	27.11.2018
148.	7904	Alok Shukla	27.11.2018
149.	7825	Prem Shanker, Lko.	27.11.2018
150.	7900	Anurag Gupta, Lko.	27.11.2018
151.	7826	Gavandra Kumar	27.11.2018
152.	7827	Abhishek Gautam, Lko.	27.11.2018
153.	7828	Rajiv Bharti	27.11.2018
154.	7829	Amresh Chandra, Lko.	27.11.2018
155.	7830	Ashish Kumar Mehta, Lko.	27.11.2018
156.	7831	Kumar Gaurav Sonker, Lko.	27.11.2018
157.	7832	Abhishek Sonkar, Lko.	27.11.2018
158.	7902	Ravindra Kumar Suman	27.11.2018
159.	7833	Ms. Astha Kadam, Lko.	27.11.2018
160.	7834	Abhishek Kumar Ranjan	27.11.2018
161.	7835	Km. Swati Singh, Lko.	27.11.2018
162.	7836	Vishwa Mohan Chandra	27.11.2018
163.	7839	Avanish Kumar Singh, Lko.	27.11.2018
164.	7840	Udai Veer Singh, Lko.	27.11.2018
165.	7841	Giriraj Goverdhan Giri	27.11.2018
166	7953	Devendra Pratap	27.11.2018
167.	7843	Dharmendra Kumar	27.11.2018
168.	7844	Satya Prakash Gupta	27.11.2018
169.	7845	Ms. Deepti Verma, Lko.	27.11.2018
170.	7846	Dhananjay Singh	27.11.2018
171.	7906	Siddharth	27.11.2018

HIGH COURT AT ALLAHABAD

NO OBJECTION CERTIFICATE

Certified that **Shri Ashutosh Singh (Emp No 7805), Review Officer,** has joined the Establishment of High Court, Allahabad w.e.f. 03.08.2015

This court is permitting him to appear in interview of U.P. Judicial Service Civil Judge (Junior Division) Exam-2022, conducted by Uttar Pradesh Public Service Commission.

04/8/23

REGISTRAR GENERAL

Registrar General
High Court
Allahabad.

Encl.-6

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ESTABLISHMENT SECTION

OFFICE ORDER

No. 7835/Establishment: Allahabad: Dated: January 11, 2024.

With reference to his application dated 05.01.2024 and 10.01.2024, Sri Ashutosh Singh (Emp. No. 7805), Review Officer is hereby informed that vide orders dated 11.01.2024 of the learned Registrar General, his request has been accepted and he is relieved from the services of this Hon'ble High Court with effect from 11.01.2024 (A.N.), so that he may join on the post of Civil Judge (Junior Division) at Ballia District. He is entitled to hold lien on the post of Review Officer in the establishment of this Hon'ble High Court.

11.1.2024

Registrar (J) (S&A)/
Establishment

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Senior Registrar (J) (Confidential), High Court, Allahabad.
2. The Registrar (Accounts), High Court, Allahabad.
3. The Systems Manager, Computer Centre, High Court, Allahabad.
4. The J.R/D.R/A.R./S.O. Confidential (A), High Court, Allahabad.
5. The J.R/D.R/A.R./ S.O. Accounts (B-1), (B-3), (C-2) & Telephone Section, High Court, Allahabad.
6. The Nodal/Co-Nodal Officer, Allahabad High Court Establishment Portal, High Court, Allahabad.
7. The Concerned official.

11.1.2024

Registrar(J)(S&A)/
Establishment

Encl.-7

CHARGE CERTIFICATE
(TAKING OVER)

Certified that charge of Civil Judge (Jr. Div.), Fast Track Court No. 01, Ballia against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission was taken over in the fore-noon of 12.01.2024, in compliance of Hon'ble Court's Notification No. 295/Admin. (Services)/ 2024 dated 04.01.2024.

12.01.2024

Relieving Officer / Ashutosh Singh

Relieved Officer XXXXXXXX

Countersigned:

District Judge,
Ballia.

District Judge
Ballia

No. ....264........./ I Dated: Ballia: January 12, 2024.

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1- The Registrar General, Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.
2- The Senior Registrar, Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Lucknow.
3- Pramukh Sachiv, U.P. Shashan, Niyukti Vibhah, Lucknow.
4- Pramukh Sachiv, U.P. Shashan, Nyaya and Vidhayee Vibhah, U.P. Shashan, Lucknow.
5- The Registrar (Confidential), Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.
6- Deputy Registrar (Services), Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.
7- Assistant Registrar (Services), Hon'ble High Court of Judicature. at Allahabad.
8- The Section Officer (Services), Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.
9- Deputy Registrar (Budget), Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.
10- The Officer on Special Duty / Incharge Computer Centre, Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.
11- The Additional Director (Treasuries), Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
12- Senior Treasury Officer, Ballia.
13- Officer concerned.
14- Office Copy.

12-1-2024

Chief Administrative Officer,
Civil Court,
Ballia.

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
दीवानी न्यायालय, बलिया

Encl

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ESTABLISHMENT SECTION

OFFICE ORDER

No. 7791 /Establishment: Allahabad: Dated: October 15 , 2019.

With reference to his application dated 21.09.2019, Sri Ashutosh Singh (Emp. No. 7805), Review Officer is hereby informed that vide orders dated 14.10.2019 of the learned Registrar General, his request has been accepted and he is relieved from the services of this Hon'ble High Court with effect from 15.10.2019 (A.N.), so that he may join on the post of Naib Tehsildar. He is entitled to hold lien on the post of Review Officer in the establishment of the Hon'ble High Court, since he is confirmed on the post of Review Officer.

15/10/19

Registrar (J)
(S&A)/Establishment

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Registrar (Accounts), High Court, Allahabad.
2. The Joint Registrar (J) (Confidential), High Court, Allahabad.
3. The Senior Systems Analyst, Computer Centre, High Court, Allahabad.
4. The D.R/S.O. Confidential (A), High Court, Allahabad.
5. The D.R/A.R./ S.O. Accounts (B-1), (B-3), (C-2) & Telephone Section, High Court, Allahabad.
6. The Concerned official.

15.10.19

Deputy Registrar
(Establishment)

आदेश

मा0 राजस्व परिषद,उत्तर प्रदेश अनुभाग–3 त0ना0त0 के आदेश /नियुक्ति सं0 3735/3त0ना0त0–35एन0टी0 2019 दिनांक 03.09.2019 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार के पद पर वेतनमान रूपया 9300–34800 ग्रेड वेतन रूपया 4200/–(सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत लेबल–6 में वेतन रू0 35400/–) में श्री आशुतोष सिंह की नियुक्ति प्रदान करते हुए जनपद गोरखपुर में तैनाती की गयी है। मा0 परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा जब तक नियुक्ति के पश्चात् साढ़े चार माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर ली जाती है, तब तक न्यायिक कार्य नहीं लिया जायेगा। मा0 परिषद के आदेश के अनुपालन में श्री आशुतोष सिंह द्वारा दिनांक 16.10.2019 के पूर्वान्ह कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। परिषद के उपर्युक्त संदर्भित आदेश के अनुपालन में नवनियुक्त नायब तहसीलदार की तैनाती निम्नानुसार की जाती है:–

क0सं	नाम अधिकारी	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	श्री आशुतोष सिंह	नवागत नायब तहसीलदार	नायब तहसीलदार तहसील सहजनवॉ

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(के0 विजयेन्द्र पाण्डियन)
जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गोरखपुर।

संख्या 723(13)/रा0स0–2019 दिनांक: अक्टूबर 17 2019

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. आयुक्त एवं सचिव, मा0 राजस्व परिषद, उ0प्र0अनुभाग–3 त0ना0त0लखनऊ के उपर्युक्त संदर्भित आदेश के क्रम में सूचनार्थ।
2. आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को सादर अवलोकनार्थ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
4. समस्त अपर जिलाधिकारी, जनपद गोरखपुर।
5. नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार सहजनवॉ ।
7. मुख्य कोषाधिकारी जनपद गोरखपुर।
8. प्रभारी अधिकारी(बिल्स)/नजारत गोरखपुर।
9. संबंधित अधिकारी/व्यक्तिगत पत्रावली
10. ओ0एस0डी0 जिलाधिकारी।

17/10/19

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

आदेश

श्री आशुतोष सिंह, नायब तहसीलदार तहसील खजनी जनपद गोरखपुर द्वारा दिनांक 02 मार्च 2020 को द्वारा उचित माध्यम आयुक्त एवं सचिव,मा0 राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–3, त0ना0त0 लखनऊ को सम्बोधित इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि इसके पूर्व वे मा0 उच्च न्यायालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे एवं स्थायी पद धारण कर रहे थे। समीक्षा अधिकारी के पद से दिनांक 15.10.2019 को धारणाधिकार लेकर कार्यमुक्त हुए एवं दिनांक 16.10.2019 को नायब तहसीलदार के पद का कार्यभार ग्रहण किये। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कारणों से वर्तमान में सेवा को जारी रखने में असमर्थ महसूस कर रहे है एवं अपने पूर्व विभाग (मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद) में समीक्षा अधिकारी के पद पर वापस जाना चाहते हैं। अनुरोध किया गया कि उनका त्यागपत्र स्वीकार कर नायब तहसीलदार के पद से यथाशीघ्र कार्यमुक्त कर दिया जाए, जिससे मा0 उच्च न्यायालय में समीक्षा अधिकारी का पद ग्रहण कर सके।

श्री आशुतोष सिंह, नायब तहसीलदार का प्रार्थना पत्र आयुक्त एवं सचिव, मा0 राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को कार्यालय के पत्र संख्या 862/रा0स0–2020 दिनांक 07 मार्च 2020 द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु संदर्भित किया गया।

आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद,उ0प्र0 अनुभाग–3 त0ना0त0 लखनऊ के पत्र संख्या 1198/3–त0ना0त0–35/96 दिनांक 05 मई 2020 के अन्तर्गत श्री आशुतोष सिंह, नायब तहसीलदार द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त उनका त्यागपत्र स्वीकार करते हुए उन्हें नायब तहसीलदार के पद से अवमुक्त किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान कर दी गयी है कि उनके विरूद्ध नियमानुसार किसी प्रकार की शासकीय धन की वसूली अवशेष न हो और न ही किसी प्रकार के शासकीय अभिलेख उनसे प्राप्त करना शेष हो। यह भी स्पष्ट किया गया है कि श्री आशुतोष सिंह, नायब तहसीलदार के पद पर स्थायी नहीं है, अतः नियमानुसार उक्त पद पर उनका धारणाधिकार नहीं रहेगा।

उप जिलाधिकारी खजनी की आख्या दिनांक 12.05.2020 के श्री आशुतोष सिंह, नायब तहसीलदार पर कोई शासकीय धन देय नहीं है तथा किसी प्रकार का शासकीय अभिलेख उनसे प्राप्त करना शेष भी नहीं है।

अतएव आयुक्त एवं सचिव, मा0 राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–3 त0ना0त0 लखनऊ के पत्र संख्या 1198/3–त0ना0त0–35/96 दिनांक 05 मई 2020 के अनुपालन में श्री आशुतोष सिंह, नायब तहसीलदार खजनी जनपद गोरखपुर के पद से आज दिनांक 13.05.2020 के अपरान्ह में एतद्द्वारा अवमुक्त किया जाता है। श्री आशुतोष सिंह, नायब तहसीलदार के पद पर स्थायी नहीं हैं, अतः नियमानुसार उक्त पद पर उनका धारणाधिकार नहीं रहेगा।

(के0 विजयेन्द्र पाण्डियन)
जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गोरखपुर।

संख्या 091(2)/रा0स0–2020 दिनांकः मई 13 ,2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त एवं सचिव, मा0 राजस्व परिषद,उ0प्र0,अनुभाग–3त0ना0त0लखनऊ
2. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
3. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
4. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार खजनी गोरखपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी गोरखपुर/प्रभारी अधिकारी(बिल्स) कलेक्ट्रेट गोरखपुर।
6. श्री आशुतोष सिंह, नायब तहसीलदार को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

13/5/2020

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

Encl.-11

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ESTABLISHMENT SECTION

OFFICE ORDER

No. 37 /Establishment: Allahabad: Dated: May 19 , 2020.

With reference to his application dated 14.05.2020, Sri Ashutosh Singh (Emp. No. 7805) is hereby informed that under the orders dated 19.05.2020 of the learned Registrar General, he is allowed to rejoin the establishment of this Hon'ble High Court on the post of Review Officer w.e.f 14.05.2020 (F.N.), as he had lien on the post of Review Officer.

19.5.2020
Joint Registrar
(Establishment)

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Registrar (Accounts), High Court, Allahabad.
2. The Registrar (J) (Confidential), High Court, Allahabad.
3. The Senior Systems Analyst, Computer Centre, High Court, Allahabad.
4. The A.R./S.O. Confidential (A), High Court, Allahabad.
5. The A.R./ S.O. Accounts (B-1), (B-3), (C-2) & Telephone Section, High Court, Allahabad.
6. The Concerned official.

19.5.2020
Joint Registrar
(Establishment)

HIGH COURT ★ ★ AT ALLAHABAD

NO OBJECTION CERTIFICATE

Certified that Sri Ashutosh Singh, R.O., (Emp.No.7805) is working in the Establishment of High Court at Allahabad, w.e.f. 03.08.2015.

I have no objection to relieve him, in case, he is selected in the interview of Combined State Upper Subordinate Examination-2016, Conducted by Uttar Pradesh Public Service Commission, Prayagraj.

23.11.18

REGISTRAR GENERAL

Registrar General
High Court
Allahabad

संख्याः-17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/89

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त,
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30अप्रैल, 2019

विषयः सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये सेवाओं का जोड़ा जाना ।

महोदय

राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग में कार्यरत किसी सरकारी सेवक द्वारा, संबंधित विभाग में नियुक्त होने के पूर्व अन्यत्र की गयी पेशनेबल सेवाओं को उसकी वर्तमान/अंतिम सेवा के साथ पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग को संदर्भित किये जाते है। इन प्रस्तावो में प्रायः कतिपय आवश्यक सूचनायें एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होता है।

2- अतः समस्त प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ सेवाओं को जोडे जाने के प्रस्ताव इस शासनादेश के साथ संलग्न

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित कि जा सकती है

प्रपत्र में उल्लिखित विवरणों को पत्रावली की नोटिंग साईड पर अंकित करते हुए पत्रावली वित्त विभाग को संदर्भित की जाये ।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव।

संख्याः17/2019/सा-3-346(1)/दस-2019-933/89तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 ।

2- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उ0प्र0 ।

3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।

4- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

5- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

6- समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित कि जा सकती है

संख्या-31/2016/सा-3-जी0आई0-17/दस-2016-301(9)2011

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांकः 06 अक्टूबर, 2016

विषयः- दिनांक 01.04.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की अनुमन्यता।

महोदय,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने, उनके विकलांग हो जाने अथवा चोट/विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हो जाने की दशा में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/आसाधारण पेंशन एवं उपदान की सुविधा अन्तरिम रूप से शासनादेश संख्या- सा-3-1613/दस-2011-301(9)/2011, दिनांक 05.12.2011 द्वारा अनुमन्य की गयी थी। इसके उपरान्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी हेतु शासनादेश संख्या-13/सा-3-393/दस-2014-301(23)/2014, दिनांक 31.10.2014, अधिसूचना संख्या-21/2015/सा-3-1038/दस-2016-301(9)/2011, दिनांक 06.11.2015 एवं शासनादेश संख्या-13/सा-3-180/दस-2016-301(9)/2011, दिनांक 19.05.2016 निर्गत किये गये।

2- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-7/5/2012-पी.एंड.पी. डब्लू(एफ)/बी, दिनांक 26.08.2016 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारी, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के लिये लागू नियम और शर्तों पर "सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान" का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-7/5/2012-पी.एंड.पी.डब्लू(एफ)/बी, दिनांक 26.08.2016 के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.04.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान का लाभ उत्तर प्रदेश रिटायमेंट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 (यथासंशोधित) से आच्छादित कर्मचारियों की भाँति अनुमन्य होगा। यह आदेश राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा, जिनमें दिनांक 01.04.2005 के पूर्व राज्य सरकार की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और जिनके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भाँति सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य थे।

4- यह आदेश दिनांक 01.04.2005 से प्रभावी माना जायेगा।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-31/2016/सा-3-जी0आई0-17(1)/दस-2016,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सी0ई0ओ0, पेंशन फण्ड रेग्यूलेटरी एण्ड डेवलपमेण्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली।
3- श्री चन्द्रशेखर तिलक, एक्जीक्यूटिव वाईस प्रेसिडेन्ट, एन0एस0डी0एल, मुम्बई।
4- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ ।

--3--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

8- विशेष सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 शासन ।

9- विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।

10- मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

11- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

12- समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।

13- समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Encl -14

संख्या-38/2016-सा-3-921/दस-2016/308/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2016

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- पेंशन/उपदान/पेंशन की संराशीकरण/पारिवारिक पेंशन/अशक्तता पेंशन/एकमुश्त अनुग्रह राशि का विनियमन करने वाले प्रावधानों का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग-2 की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016 दिनॉक 16-12-2016 द्वारा किये जाने के अनन्तर श्री राज्यपाल दिनॉक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के प्रावधानों का विनियमन करने वाले प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

2- यह आदेश उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स द्वारा नियंत्रित राज्य सरकार के उन कर्मचारियों जो उत्तर प्रदेश लिब्रलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, तथा जो दिनॉक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत होंगे, पर लागू होंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

3-(1) प्रभावी होने की तिथि -

इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगी जो दिनाँक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत हुए हों। दिनाँक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी सेवकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

3-(2)

इन आदेशों से आच्छादित ऐसे सरकारी सेवकों, जिनके मामलों में दिनाँक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति पूर्व व्यवस्था के अनुसार निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिये लाभप्रद न हो, तो ऐसे मामलों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

4(1) परिलब्धियाँ

पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानैवृत्तिक/मृत्यु ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसाकि मूल नियम-9(21) (1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

4(2)

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का आशय उस वेतन से है, जो दिनाँक 01-01-2016 से लागू पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर आहरित किया गया है किन्तु इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष वेतन आदि शामिल नहीं होंगे।

4-(3)

सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को देय महँगाई भत्ता परिलब्धियों में सम्मिलित किया जायेगा।

5-पेंशन

5-(1)

सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद-474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों, जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हैं, उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं होती है, परन्तु उक्त श्रेणी के कार्मिक राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे।

5-(2)

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनॉक 01-01-2006 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी अर्हकारी सेवा 20 वर्ष की है, को पूर्ण पेंशन अनुमन्य की गयी है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों में इस व्यवस्था को यथावत् बनाये रखा गया है। जो सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य है। यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी परन्तु यह राशि किसी भी दशा में रू0 9,000/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

5-(3)

पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 9000/- प्रतिमाह तथा अधिकतम राशि राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

5-(4)

वृद्ध पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नानुसार पूर्व की भॉति अनुमन्य रहेगी :-

पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार पत्र में पेंशनर की जन्म तिथि, पेंशनर द्वारा धारित अन्तिम पदनाम, वेतनमान, अन्तिम आहरित वेतन एवं औसत परिलब्धियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये जिससे अनुमन्यता की तिथि को अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा हो। पेंशन प्राधिकार पत्र में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से प्रदर्शित की जायेगी। **उदाहरणार्थ** यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10,000/- प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी, **(i)** मूल पेंशन- रू0-10,000/- **(ii)** अतिरिक्त पेंशन रू0-2,000/- । 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर , **(i)** मूल पेंशन- रू0-10,000/- **(ii)** अतिरिक्त पेंशन रू0-3,000/- प्रतिमाह होगी।

6- अर्हकारी सेवा से अतिरिक्त सेवा की गणना

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सेवा को पेंशन के लिये अर्हकारी सेवा में गणना किये जाने की व्यवस्था को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनॉक 08-12-2008 द्वारा दिनॉक 01-01-2006 से समाप्त कर दिया गया है।

7- नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965

7(1)- पुनरीक्षित वेतन संरचना में पारिवारिक पेंशन एक समान दर मूल वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर इस प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृत की जायेगी कि पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि रू0- 9000/- प्रतिमाह होगी और अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

7(2)- पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत पारिवारिक पेंशन मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जिसकी न्यूनतम धनराशि रू0 9000/- तथा अधिकतम राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

7(3)- वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों को देय अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का आगणन प्रस्तर-5(4) में दी गयी तालिका के अनुसार किया जायेगा।

7(4)- पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :-

वर्ग-1

(क)- विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो।

(ख)- पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्ग-2

(च)- अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग-1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(छ)- ऐसे माता-पिता जो सरकारी सेवक पर उनके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक के पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे न हों।

आश्रित माता-पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवनपर्यन्त मिलेगी।

वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित/ विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में उक्त वर्ग-1 में सम्मिलित पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार में ऐसी कोई संतान न हो, जो विकलॉग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों को उनकी जन्म-तिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/ विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को, चाहे उनका वैधव्य/तलाक, उनकी 25 वर्ष की आयु के पूर्व अथवा पश्चात् घटित हुआ हो, दोनों ही दशाओं में, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी परन्तु ऐसी पुत्रियाँ जो सरकारी सेवक/पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

7(5)- संतानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुनर्विवाह के उपरान्त भी किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जायेगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बंद हो जायेगी। उक्त प्रकार के प्रकरणों में विधवा को संबंधित कोषागार में प्रत्येक 06 माह पर एक प्रमाण-पत्र देना होगा जिसमें उसकी सभी स्रोतों से आय का उल्लेख होगा।

7(6)- सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाह के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था शासनादेश संख्या-33/2016-सा-3-784/दस-2016-308/97, दिनॉक 27-10-2016 द्वारा तत्काल प्रभाव अर्थात् 27-10-2016 से अनुमन्य की गयी है तथा इससे वह प्रकरण भी आच्छादित होंगे जिनमें मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतानों को विवाहोपरान्त पारिवारिक पेंशन बंद की जा चुकी है परन्तु इन आदेशों के तहत पारिवारिक पेंशन का भुगतान

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तत्काल प्रभाव अर्थात् 27-10-2016 से अनुमन्य होगा। शासनादेश दिनॉक 06-08-1981 सपठित शासनादेश दिनॉक 12-11-1997 की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

7(7)- उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य महँगाई राहत पर निर्धारित होगी।

7(8)- ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, तथा इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढी हुई दरों पर पेंशन का लाभ दिवंगत पेशनर की मृत्यु की तिथि से 07 वर्ष अथवा पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगी।

<u>8- सेवानिवृत्ति/ मृत्यु ग्रेच्युटी</u>

<u>8(1)- मृत्यु ग्रेच्युटी की दर निम्नानुसार संशोधित की जायेगी :-</u>

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना
05 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रू0 20 लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

8(2)- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रू0 20 लाख होगी। महंगाई भत्ता मूलवेतन का 50 प्रतिशत हो जाने पर उपदान की सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी।

<u>9- पेंशन का राशिकरण</u>

प्रत्येक सरकारी सेवक को यह सुविधा अनुमन्य होगी कि वह अपनी पेंशन के एक भाग, जिसकी अधिकतम सीमा पेंशन की धनराशि की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, का राशिकरण करा लें। राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पूर्व की भॉति

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

पी0पी0ओ0 निर्गत होने के 03 माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

10- महँगाई राहत

पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर समय-समय पर अनुमन्य महँगाई राहत देय होगी। इन आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनाँक 01-01-2016 से शून्य प्रतिशत तथा दिनाँक 01-07-2016 से 02 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

11-एक्स-ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन

एक्स-ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन की धनराशि जो ऐसे राज्य सरकार के सिविल सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को देय है, जिनकी मृत्यु अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान हो जाती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक्स-ग्रेशिया की धनराशि की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

परिस्थितियाँ		धनराशि(रूपये)
(क)	कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर	25 लाख
(ख)	कर्तव्य निर्वहन के दौरान आतंकवादियों अथवा असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा में मृत्यु होने पर	25 लाख
(ग)	सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादियों, आतंकवादियों, अतिवादियों अथवा समुद्री लुटेरों के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान मृत्यु होने पर	35 लाख
(घ)	विशिष्ट रूप से चिन्हित ऊँची पहाडियों या दुर्गम सीमा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं या कठिन जलवायु परिस्थिति में कार्यरत होने पर मृत्यु की दशा में।	35 लाख
(ड)	युद्ध में शत्रुओं के हमले या ऐसे हमले जिन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाये अथवा भारतीयों को विदेश में युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने के दौरान हुई मृत्यु पर।	45 लाख

उपरोक्त संदर्भित संशोधनों के फलस्वरूप सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश लिब्रलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश असाधारण पेंशन नियमावली एवं नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन तथा 3.ावश्यक नियम/व्यवस्थायें संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष नियम/व्यवस्थायें पूर्ववत रहेंगी।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12-अवशेष भुगतान की प्रक्रिया

(क)- इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निर्धारित सेवा नैवृत्तिक लाभों का भुगतान माह जनवरी, 2017 जिसका भुगतान फरवरी, 2017 में किया जाना है, से किया जाये। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिये देय अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।

(ख)- किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षो में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-38/2016-सा-3-921(1)/दस-2016/308/16 तद् दिनॉक।

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।

10- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

No. 7/5/2012-P&PW(F)/B
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 12th February, 2020.

OFFICE MEMORANDUM.

Subject: Counting of service on joining new service in State Government / Central Government / autonomous body for the benefit of gratuity in respect of Central Govt. Employees covered under National Pension System (NPS).

The undersigned is directed to say that vide this Department's O.M. No. 38/41/06-P&PW(A) dated 05.05.2009, in the event of death / disability during service, the benefits of Invalid / Disability pension, Family pension and retirement / death gratuity were provisionally extended to NPS employees at par with the employees appointed before 01.01.2004. Subsequently, the benefit of retirement gratuity and death gratuity has been extended to all Central Government employees covered under National Pension System (NPS) vide this Department's OM No. 7/5/2012-P&PW(F)/B dated 26.08.2016 on the same terms and conditions, as are applicable to employees covered by CCS (Pension) Rules, 1972.

2. References have been received in the Department seeking clarification with regard to the benefit of retirement gratuity on mobility from one organization to another organization. This matter has been considered in consultation with Department of Expenditure. It has been decided that the grant of retirement gratuity and counting of service for gratuity on mobility of an NPS Government employee may be regulated in the following manner:

(i) On mobility from a Central Government service to another Central Government service, the service rendered in the previous Department in the Central Government shall be counted for the purpose of grant of gratuity. There shall be no sharing of gratuity liability between the two Departments of Central Government.

(ii) On mobility from a Central Government service to a State Government service having National Pension System with provision for Retirement / Death Gratuity for its employees similar to those in Central Government, the service rendered in the Central Government shall be counted for the purpose of grant of gratuity. Same provisions shall apply on mobility of an NPS employees of the State Government to Central Government Department. There shall be no sharing of gratuity liability between the Central and State Governments.

Contd..2/.

(iii) On mobility from Central Government service to a Central or State Autonomous Body service having National Pension System with provision of retirement / death gratuity for its employees similar to that in the Central Government, the service rendered in the Central Government would be counted for grant of gratuity. The Government will discharge its gratuity liability by paying the amount of retirement gratuity for the service rendered in the Government to the Central or State Autonomous body. This procedure shall be followed mutatis mutandis in respect of NPS employees going over from one autonomous body to another autonomous body or from an autonomous body to Central Government / Department / organisation both having National Pension System with provision of retirement / death gratuity for its employees similar to that in the Central Government.

(iv) On mobility from Central Government service to a Central or State Autonomous Body or to a State Government where the provision for grant of gratuity similar to that in Central Government does not exist or to a Public Sector Undertaking, the NPS Government employees shall be granted retirement gratuity as per rule for the service rendered in the Central Government subject to the condition that the total gratuity admissible in respect of the service rendered under the Government of India and that under the later organization, shall not exceed the amount that would have been admissible, had Government servant continued in Government service and retired on the same pay which he/ she drew on retirement from the later Organization.

The above provisions would be applicable to Government employees covered under NPS who resign to take up with proper permission, another appointment in the Central / State Government or Central / State Autonomous body or a PSU.

3. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their U.O. Note No. 1(4)/EV/2006-II Dated 30.10.2019.

4. In their application to the employees of Indian Audit and Accounts Department, these orders issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution.

5. All the Ministries / Departments are requested to bring the above instruction to the notice of all offices / field formation working under their administrative control.

(Ruchir Mittal)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries / Departments of the Government of India.